भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2645

जिसका उत्तर मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

उत्पादन जांच का अनुपालन

2645. श्री गोकाराजू गंगा राजू:

श्री पी० श्रीनिवास रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल ओटोमोटिव टेस्टींग एण्ड आर एण्ड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विनिर्माताओं के बजाए एकल मालिकों से विभिन्न कारों के मॉडलों को यादृच्छिक रूप से खरीदने का प्रस्ताव है ताकि यह जांच की जा सके कि ये वाहन उत्पादन जांच के अनुपालन के भाग के रूप में उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाहन संरक्षा और मानदंड से निपटने हेतु कोई प्रणाली विद्यमान है ताकि प्रत्येक कंपनी द्वारा बेचे गए और उपयोग किए जा रहे वाहन उक्त कंपनी द्वारा स्वीकृत दस्तावेजों के अनुसार उत्सर्जन मानकों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। प्रस्ताव के अनुसार, यह पता लगाने के लिए कि चेसिस डायनो उत्सर्जन वास्तविक उत्सर्जनों से कैसे भिन्न है, भावी विनियमों में संभावित अनुपालन हेतु चेसिस डायनेमोमीटर उत्सर्जन का वास्तविक उत्सर्जन से सह-संबंध स्थापित करने और अनुपात की सिफारिश करने, दिल्ली एनसीआर में वास्तविक उत्सर्जन परीक्षण के लिए एक परीक्षण रूट तय करने, उत्सर्जन पर अत्यधिक यातायात के प्रभाव के अध्ययन के लिए एनईडीसी साइकिल चक्र उत्सर्जन का डब्ल्यूएलटीसी चक्र उत्सर्जन के साथ तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

(ग) और (घ): ट्रेलर और सेमीट्रेलरों को छोड़कर अन्य मोटर वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप, मोटर वाहन अधिनियम तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में एक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट किसी भी एजेन्सी को प्रस्तुत करना होता है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 126ए के अनुसार नियम 126 में संदर्भित परीक्षण एजेन्सियों द्वारा विनिर्माता की उत्पादन लाइन से वाहन लेकर भी परीक्षण करना आवश्यक है जिससे कि यह सत्यापित किया जा सके कि ये वाहन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है। मोटर वाहन अधिनियम तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। टाइप अनुमोदन दस्तावेज में विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों की जांच केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 126 में विनिर्दिष्ट परीक्षण एजेन्सियों द्वारा की जा सकती है।

****